

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र,
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक आयुक्त उत्पाद,
पटना।

पटना, दिनांक:- 12-4-12

विषय:- सर्वश्री एरियन ब्रिवरीज एण्ड डिस्टीलरीज लिमिटेड, पटना के लेबुलों को बिहार राज्य में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1328 दिनांक-04.04.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री एरियन ब्रिवरीज एण्ड डिस्टीलरीज लिमिटेड, पटना द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित बीयर के निम्नलिखित लेबुल को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से नवीकृत किया जाता है।

क्र०	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम० एल० में)	पूर्व का निबंधन सं० एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	डेयर डेभिल प्रिमीयम लेगर बीयर (5 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2619/11-12	2619/12-13
2	डेयर डेभिल 10000 प्रिमीयम स्ट्रॉंग बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2620/11-12	2620/12-13
3	केरिबीयन बोल्ड बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2621/11-12	2621/12-13
4	केरिबीयन ग्रीन बीयर (5 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2622/11-12	2622/12-13

शर्तें :-

- उपरोक्त लेबुल को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुल को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत लेबुल पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- वार्षिक संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर नवीकरण शुल्क के अगले स्लेव के आधार पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

(नवीन कुमार मिश्र)
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3/एफ2-140-ले० नि०-01/2012

2049

पटना, दिनांक:- 12-4-12

प्रतिलिपि :-सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबंध निदेशक, बी० एस० बी० सी० एल०, पटना/प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री एरियन ब्रिवरीज एण्ड डिस्टीलरीज लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।